

अधिभाषक संघ द्वारा कार्य को स्थगन रखा गया है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/1/22 को पेश हो।

पीठाधीश्वरी महोदय, पुनाच/अपच कार्य में व्यस्त है।
आत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/22 को पेश हो।

पत्रावली का पत्र दिनांक 24/1/22 को पेश हो।
पत्रावली का पत्र दिनांक 24/1/22 को पेश हो।

अधिभाषक संघ द्वारा कार्य को स्थगन रखा गया है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/1/22 को पेश हो।

पीठाधीश्वरी महोदय, पुनाच/अपच कार्य में व्यस्त है।
आत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/1/22 को पेश हो।
पत्रावली राज्य लोक अदालत दिनांक 13/1/22 को पेश हो।

पत्रावली आज राज्य लोक अदालत में प्रस्तुत हुई।
बकीलवादी मम उपरिचार बकीलवादी ने कहा कि
कि प्रकरण में प्रत्येकारण के महत्त्व सजीवमाना हो चका
है। परन्तु किसी कारण से प्रत्येकारण आज राज्य लोक
लोक अदालत में उपरिचार नहीं हो चके हैं।
प्रकरण को इसी स्टेज पर तोड़ प्रेस प्रमाण
जावे।

11/1/22
92

बकीलवादी के कथनों पर विचार किया गया
जब प्रत्येकारण की आज्ञा दी गई। परन्तु
प्रत्येकारण उपरिचार नहीं, अतः प्रकरण बकीलवादी
की सहमति के आधार पर तोड़ प्रेस प्रमाण
जाता है पत्रावली के अलावा मुनाद होकर दायित्व